षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्री मनोज कुमार, स०वि०स० श्री रवि ज्योति कुमार, स०वि०स० डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स० श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स०	सरकारी योजनानुसार अग्नि कांड से प्रभावित परिवार को तत्काल आपदा सहायता राशि 9800/- देने का प्रावधान है, जबकि छोटे-छोटे स्वरोजगारी व्यवसायी के दुकान में आग लगने से क्षति होने पर आपदा मुआवजा राशि देने का प्रावधान नहीं है । ठीक इसी प्रकार सर्प दंश से या सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 04 लाख की आपदा मुआवजा राशि देने का प्रावधान नहीं है । अत: छोटे व्यवसायी के दुकान में अगलगी की घटना होने पर सरकारी सहायता राशि देने के साथ सर्प दंश तथा सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी 04 लाख की मुआवजा राशि देने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	आपदा प्रबंधन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/19- 674 / वि०स०, पटना, दिनांक-03 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.7.19

(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/19- 674 / वि०स०, पटना, दिनांक-03 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

3.7.19

(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।